कार्यालय नगर परिषद, अररिया

बन्दोबस्ती हेतु अति अल्पकालिन आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि **वित्तीय वर्ष 2021-2022** के लिए **अररिया नगर परिषद** क्षेत्रान्तर्गत निम्नांकित सैरातों की बन्दोबस्ती खुली डाक द्वारा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निर्धारित तिथि एवं समय पर की जायेगी। इच्छुक डाकवक्ता निर्धारित तिथि एवं समय पर डाक में भाग ले सकते हैं। निर्धारित तिथि (05.04.2021) को किसी कारणवश डाक सम्पन्न नहीं होने की स्थिति में क्रमांक-01 से 07 के लिए दिनांक 06.04.2021 को 11:30 बजे पूर्वाह्न से डाक की जायेगी तथा उक्त तिथि को भी डाक सम्पन्न नहीं होने पर क्रमांक-01 से 07 के लिए दिनांक 07.04.2021 को 11:30 बजे पूर्वाह्न से डाक की जायेगी, जो लगातार डाक सम्पन्न होने तक अगले दिन को चलेगी।

क्रमांक	सैरातों का नाम	वसूली का निर्धारित दर	सुरक्षित जमा राशि	जमानत की राशि (सुरक्षित जमा का 20%)	डाक की तिथि एवं समय
1	2	3	4	5	6
1	टेम्पू एवं टोटो की वसुली	तीन पहीया टेम्पु एवं टोटो सवारी 10 रूपये प्रतिदिन। चार पहीया टेम्पु सवारी 15 रूपये प्रतिदिन	**13,77,932**	**2,75,586**	**तिथि** 05.04.2021 **समय** 11:30 बजे पूर्वाह्न से
2	बस पड़ाव सेवा शुल्क की वसुली	बड़ा बस 50 रूपये प्रति ट्रीप। मिनी बस 25 रूपये प्रति ट्रीप। जीप/सवारी/सुमो/हलकी वाहन 15 रूपये प्रति ट्रीप	**5,30,323**	**1,06,065**	
3	सुलभ शौचालय कॉम्पलैक्स समाहरणालय परि0 अररिया की वसुली	5 रूपये प्रति व्यक्ति।	**1,38,987**	**27,797**	
4	राजस्व हाट बसंतपूर	स्थायी फुटकर विक्रेताओं से 15 रूपये एवं अस्थायी विक्रेताओं से 10 रूपये प्रतिदिन।	**5,05,353**	**1,01,071**	
5	राजस्व हाट, अररिया आर0एस0	स्थायी फुटकर विक्रेताओं से 15 रूपये एवं अस्थायी विक्रेताओं से 10 रूपये प्रतिदिन।	**1,97,830**	**39,565**	
6	रजोखर राजस्व हाट,	स्थायी फुटकर विक्रेताओं से 15 रूपये एवं अस्थायी विक्रेताओं से 10 रूपये प्रतिदिन।	**2,00,656**	**40,131**	
7	नगर परिषद, अररिया क्षेत्रान्तर्गत होर्डिंग शुल्क की वसूली	-	**3,00,000**	**60,000**	

शर्तें:-

1. सैरातों के सामने अंकित जमानत की राशि डाक वक्ताओं को डाक प्रारंभ होने के पूर्व **कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, अररिया** के पद नाम से बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर्स चेक अथवा नगर परिषद कार्यालय के नजारत में जमा करना होगा। डाक के किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर जमा की गई राशि जब्त कर ली जायेगी।
2. डाक में भाग लेने वाले डाकवक्ता को डाक बोलने से पूर्व वैद्य **स्वच्छ आचरण प्रमाण पत्र**, फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति जमा करना अनिवार्य होगा।
3. जिनके यहां पूर्व की बन्दोबस्ती का बकाया अथवा अन्य किसी भी प्रकार का बकाया होगा वे डाक में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।
4. उच्चतम डाकवक्ता को डाक की सम्पूर्ण राशि **एक मुस्त** डाक के उपरांत 24 घंटे में जमा करनी होगी। जमा नहीं करने की स्थिति में उक्त सुरक्षित जमा राशि जब्त कर ली जायेगी एवं दूसरे उच्चतम डाकवक्ता पर विचार किया जायेगा।

क. निलामी के तुरंत बाद निबंधन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 2838 दिनांक 09.12.2006 के आलोक में निबंधन अधिनियम 1908 की धारा 17 (1) (डी) के तहत एवं वर्ष से कम अवधी के लिए लीज/पट्टा दस्तावेज का निबंधन अनिवार्य होगा।

ख. उच्चतम डाकवक्ता को अपने डाक के कुल राशि का 10% (दस प्रतिशत) के दर से स्टाम्प शुल्क बन्दोवस्तीदार को वहन करना होगा।

ग. स्टाम्प शुल्क के भुगतान किये बगैर कोई भी लीज/पट्टा दस्तावेज साक्ष्य के रुप में विधिमान दस्तावेज के रुप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

5. उच्चतम डाकवक्ता को एकरारनामा करने के पश्चात ही डाक परवाना निर्गत किया जायेगा।
6. सैरातों से नगर परिषद द्वारा **पूर्व निर्धारित** दर पर हीं शुल्क/टोल वसूली करने का अधिकार बन्दोबस्तधारी को होगा। विशेष परिस्थिति में सैरात वसूली दर सशक्त स्थायी समिति/सामान्य बोर्ड की बैठक के निर्णय अनुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है।
7. सैरात क्षेत्र में किसी तरह का पक्का/कच्चा/गुमटी आदि का निर्माण वर्जित होगा।
8. डाक की समाप्ति के पश्चात प्रथम एवं द्वितीय डाकवक्ता को छोड़कर शेष डाकवक्ता को जमानत की राशि नियमानुसार वापस कर दिया जायेगा।
9. नगर परिषद, अररिया के द्वारा समय समय पर निर्गत किये गये निर्देश बन्दोबस्ती के लिए मान्य होगा।
10. डाक की शर्तों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने अथवा किसी भी डाक को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा। ससमय बन्दोवस्ती की राशि किसी कारणवश नहीं जमा करने पर उक्त राशि की वसूली हेतु कानुनी कार्रवाई की जायेगी।
11. किसी भी डाक को अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
12. बन्दोवस्ती/डाक से सम्बंधित विस्तृत जानकारी नगर परिषद कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस को प्राप्त किया जा सकता है।
13. विशेष परिस्थिति में बन्दोबस्ती रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित रहेगा। इस सम्बंध में कोई दावा मान्य नहीं होगा।

19/03/2021 नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, अररिया।	उप मुख्य पार्षद, नगर परिषद, अररिया।	19/03/2021 मुख्य पार्षद, नगर परिषद, अररिया।

ज्ञापांक....392........दिनांक..19../03/2021

प्रतिलिपि : जिला पदाधिकारी, अररिया की सेवा में सादर सूचनार्थ।
प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया को सादर सूचनार्थ।
प्रतिलिपि : मुख्य पार्षद/ उप मुख्य पार्षद/सभी सदस्य, सशक्त स्थायी समिति, नगर परिषद, अररिया को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल पदाधिकारी, अररिया को को सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, फारबिसगंज/नगर पंचायत, जोगबनी को सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : अवर निबंधक पदाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : सचिव, बार एसोसिएसन/सचिव, एडभोकेट एसोसिएसन, अररिया को सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : कार्यालय सूचना पट पर प्रकाशनार्थ।
प्रतिलिपि : निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को किसी दो समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि : डी0आई0ओ0, जिला एन0आई0सी0, अररिया को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ समर्पित। आम सूचना (बन्दोबस्ती) 01 प्रति संलग्न।

19/03/2021
नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, अररिया।